माधोपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि आदेश दिनांक - 04/11/2022

[illegible]
अपील संख्या 16/2022

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीणा ,आर.ए.एस.

अपील संख्या–16 / 2022 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्या–2022 / 10

अनवान

1. अरविन्द कुमार पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जैन भालीवाल प्रो. महेश टॉकिज निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज.

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।

मुख्य रेस्पोंडेन्ट / वादी

2. बद्री प्रसाद पुत्रान दुर्गालाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी
3. रामस्वरुप पुत्र दुर्गालाल (फौत)
   3 / 1. रमेश चन्द पुत्र रामस्वरुप
   3 / 2. गुलाब चन्द पुत्र रामस्वरुप (फौत)
   3 / 2 / 1. अशोक पुत्र गुलाब चन्द
   3 / 2 / 2. सुनील पुत्र गुलाब चन्द
   3 / 2 / 3. अनिल पुत्र गुलाब चन्द
   3 / 3. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरुप
   3 / 4. महेश चन्द पुत्र रामस्वरुप
   3 / 5. श्याम लाल पुत्र रामस्वरुप
   3 / 6. बाबूलाल पुत्र रामस्वरुप
4. हरिचरण पुत्र दुर्गालाल (फौत) जाति महाजन
   4 / 1. जगदीश पुत्र हरिचरण
   4 / 2. चन्द्रशेखर पुत्र हरिचरण
   4 / 3. सतीश चन्द पुत्र हरिचरण
   4 / 4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिचरण
5. घुडमल पुत्र गेंदी लाल महाजन (फौत)
   5 / 1. गोविन्द पुत्र घुडमल (फौत)
   5 / 1 / 1. सुरेश पुत्र गोविन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

5/1/2. नरेन्द्र पुत्र गोविन्द (फौत)
5/1/2/1. नमन पुत्र नरेन्द्र
5/1/3. राजेश पुत्र गोविन्द
5/1/4. रघुनन्दन पुत्र गोविन्द
5/1/5. मुकेश पुत्र गोविन्द
6. श्रीमती जया देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा (फौत)
6/1. ओमप्रकाश शर्मा उर्फ पप्पू जाति ब्राह्मण
समस्त निवासीयान गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
1. श्री श्याम मोहन शर्मा अभिभाषक अपीलांट,
2. पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,
3. रेस्पोडेन्ट 2 ता 6/1 की ओर से कोई उपस्थित नही,

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

::: निर्णय :::

दिनांकः— 04.11.2022

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखंड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 109/2001 वउनवान सरकार बनाम रामस्वरूप वगै में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अदालत मातहत उपखण्ड. अधिकारी मे एक वाद राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(लैण्ड हौल्डर) गंगापुर सिटी द्वारा इस आशय का पश किया कि आराजी खसरा नंबर 463/630 रकवा 1.50 हैक्टेयर पूर्व में जेठमल हीरालाल नामक तेल मिल कार्यरत थी, जिसकी खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल रामस्वरूप, हरिचरणलाल, बद्रीप्रसाद पि0 दुर्गालाल महाजन सा0देह 1/2 घूड़मल पुत्र गेंदीलाल हि0 1/2 महाजन सा0 देह गंगापुर सिटी के नाम ... गंगापुर सिटी में अंकित है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर प्रतिवादीगण ने आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग किया है, जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के विपरीत है। खातेदारान को उक्त भूमि केवल औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिए दी गई थी जिसका आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कर भूमि का अवैध बेचान कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ कार्य किया है। इसलिए हाल प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात वाके ग्राम गंगापुर सिटी से बेदखल किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 द्वारा मातहत अदालत से हाल तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स को आराजी खसरा नंबर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टेयर स्थित ग्राम गंगापुर सिटी से बेदखल किया जाकर भूमि राजस्थान राज्य सरकार को दिलाया जाने का निवेदन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 06 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का पेश किया

अदालत मातहत द्वारा भूमि को आवंटन के प्रयोजन से विपरीत काम में लेने का मानते हुये, उक्त आलैच्य आदेश पारित करते हुये दिनांक 28.02.2005 को धारा 175, 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत संबंधित खातेदार (भूमि विक्रेता एवं क्रेता) को बेदखल कर भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाई चक दर्ज करने का आदेश पारित किया। इस निर्णय से व्यथित होकर हाल अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/वादी ने आराजीयात खसरा नंबर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टेयर की भूमि का वास्तविक स्थिति के तथ्यो से विपरीत उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की है, वास्तविक स्थितिनुसार आराजीयात का साबिक खसरा नं. 359 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा सम्वत् 2015 प्रथम सैटलमेन्ट मुताबिक पर्चा सेटलमेन्ट उक्त खसरा नम्बर एकीकरण के समय खसरा नम्बर 657, 658, 659 मिन 665, 666 मिन खसरा नम्बरो से बना हुआ है। प्रथम सैटलमेन्ट के समय उक्त भूमि का पर्चा हाल तरतीबी रेस्पोन्डेन्टान के पूर्वज दुर्गालाल व घूड़मल पिसरान मेंदीलाल महाजन के नाम से जारी हुआ जो गलत रूप से जारी किया गया। चूंकि साबिक खसरा नम्बर 359 के रकबे में से 3554 वर्गगज क्षेत्रफल भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वज सैटलमेन्ट से पूर्व से काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि पर आजादी से पूर्व जयपुर रियासत संवत 2003(सन् 1946) खसरा गिरदावरी संवत् 2013 में उक्त खसरा नम्बरान् में करीब 27 बिस्वा भूमि की किस्म गैर मुमकिन सिनेमा दर्ज है। सिनेमा निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर गुलाब टाकिज बनाया गया जो कि वर्तमान में महेश टाकिज के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात् गंगापुर सिटी में वर्ष 1967 में टाउन इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट का सर्वे हुआ जिसमें भी खसरा नम्बर 659, 662 लगायत 665 व 667 में भी किस्म सिनेमा दर्ज है। उक्त सिनेमा हाउस के क्षेत्रफल 3554 वर्गगज की एवज में राज्य सरकार को समय समय पर [illegible] होती चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

[illegible] सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक [illegible] से लीज एवं [illegible] आदेश हुए। जो वर्ष 2014 तक उक्त लीज व [illegible] कार्यवाही जारी किए नहीं करवाई गई है। इस प्रकार मातहत अदालत ने बिना [illegible] अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये तथा लीज व सरकारी रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए [illegible] रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/वादी ने तथ्यों को छिपाते हुये मातहत अदालत के समक्ष [illegible] तथ्यों को उल्लेखित कर, दावा प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर मातहत अदालत ने न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अंतिम आदेश पारित किया।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट के 3554 वर्ग गज में निर्मित सिनेमा हाउस को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल आर एक्ट मुकदमा संख्या 663/2008 राजस्थान सरकार बनाम अरविन्द कुमार की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी जिसमें अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर 18.02.2009 को प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है।

अपीलांट द्वारा वर्ष 2011 में अदालत मातहत उपखण्ड गंगापुर सिटी में एक वाद धारा 88, 89 व 91 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि में से 3554 वर्गगज में निर्मित सिनेमा हाउस वादी की मिलकियत है जिसे सिवाईचक से हटाकर अपीलांट के नाम दर्ज किया जावें। अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद 28.05.2013 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में पेश की गई जिसमें अपील में निर्णय दिनांक 17.06.2013 को आदेश किए गए कि खसरा नम्बर 463/630, रकबा 1.60 हैक्टेयर में से 3554 वर्गगज भूमि में बना महेश टॉकिज के क्षेत्रफल को सिवाईचक से हटाकर पृथक से बटा नम्बर कायम किया जावे व बटा नम्बर में महेश टॉकिज अंकित किया जाकर लीज शर्तों के मुताबिक कार्यवाही की जावे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा 05.08.2015 को आदेश माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश को यथावत रखा। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 17717/2015 के आदेश दिनांक 02.02.2017 के निर्णय में राजस्व अपील प्राधिकारी व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को निरस्त कर दिया गया। डी बी स्पेशल अपील रिट नम्बर 454/2017 जो अपीलांट द्वारा पेश की गई थी, जिसमें आदेश दिनांक 04.05.2018 के अनुसार माननीय सिंगल बैंच के आदेश को अपास्त करते हुए, सुनवाई हेतु माननीय सिंगल बैंच को लौटा दी गई। जो वर्तमान में विचाराधीन है। माननीय एस बी के निर्णय में सभी बिंदुओं पर निर्णय पारित करते हुए मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 28.02.2005 को अलग से चुनौती नहीं [illegible] गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]त्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जिसकी जानकारी अपीलांट को माननीय एस वी के निर्णय पारित करने के पश्चात् हुई। इस कारण यह अपील पेश की जा रही है अदालत मातहत आलौच्य आदेश दिनांक 28.02.2005 के खसरा नम्बर 463/630 गंगापुर सिटी की भुमि का निर्णय समरी प्रोसेड़िंग लिखा किया गया है। जिसमें न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया न ही सुनावाई का मौका दिया गया।उक्त भूमि मे से 3554 वर्गगज को भूमि नियमित वाद से अपीलांट स्वामित्व प्राप्त होने के कारण आलौच्य आदेश प्रभावहीन व शून्य हो गया है , इस कारण अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि (3554 वर्गगज) की हद तक निरस्त/निष्प्रभावी फरमाया जावे।

अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी आज्ञाकारी साक्षी के आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 मे उल्लेखित भूमि 3554 वर्गगज की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जवकि जवाव में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद विन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की गई जिसमें अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

प्रकरण सरकार के द्वारा जवाव बहस में कथन किया गया कि प्रकरण अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के निर्देशानुसार सम्पत्ति प्रकरण निर्णय होना शेष है जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा सिविल रिट पिटिसन के सम्बंध में जब तक कोई निर्णय नही हो तब तक किसी प्रकार का आदेश नही किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 28.02.2005 के द्वारा हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट को अदालत मातहत ने पक्षकार नही बनाया गया और सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। पार्थी का विवादग्रस्त भूमि के हित व अधिकार निहित है। इसलिए पार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की अपील संख्या 34/2013 बउनवान अरविन्द कुमार पल्लीवाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी निर्णय दिनांक 17.06.2013 में अपीलांट अरविन्द कुमार पल्लीवाल पुत्र गुलाब चन्द पल्लीवाल प्रो. महेश टाकिज गंगापुर सिटी अपीलांट के रूप में संशोधित है इस आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

सरकार पैरोकार एवं अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टैयर किस्म चाही प्रथम ग्राम गंगापुर जिला सवाई माधोपुर की जमाबंदी संवत् 2056–2059 रामस्वरूप, हरिचरणलाल, बद्रीप्रसाद, पिता दुर्गालाल महाजन सा. देह हिस्सा 1/2 घुड़मल पुत्र गेंदीलाल 1/2 हिस्सा महाजन सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी, संवत् ग्राम गंगापुर के खसरा नम्बर 463/630 में यह आराजीयात गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है। पत्रावली से अपीलांट में अंकित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार मिलान क्षेत्रफल पेश नही है और न ही माननीय एकल पीठ व डी. बी. के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की अपील संख्या 34/2013 बउनवान अरविन्द कुमार पल्लीवाल पुत्र गुलाबचन्द पल्लीवाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी (अपील मुकदमा नम्बर 75/2011 निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.2013 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी) निर्णय दिनांक 17.06.2013 की एवं न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रार्थना पत्र संख्या 109/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी बनाम रामस्वरूप, बद्री, घुड़मल वगैरहा अन्तर्गत धारा 175,177 निर्णय दिनांक 28.05.2005 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

Signature Not Verified

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे मुख्य अनुतोष यह है कि :–

"अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि (3554 वर्गगज) की हद तक निरस्त/निष्प्रभावी फरमाया जावे।"

यह अनुतोष न्यायालय हाजा के अपील संख्या 34/2013 निर्णय दिनांक 17.06.2013 में अपीलांट को इस अपील के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 द्वारा पुर्व में ही अनुतोष प्राप्त हो चुका है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 34/2013 एवंम् प्रस्तुत अपील में पक्षकार एवं वाद की विषयवस्तु समान है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 34/2013 का ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है

"अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । तथा न्यायालय उपखण्ड जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 मुकदमा नम्बर 75/11 निरस्त किये जाते है तथा आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टैयर स्थित ग्राम गंगापुर सिटी के 3554 वर्गगज क्षेत्रफल में बना महेश टाकीज वादी द्वारा निर्मित है को इस खसरा नम्बर 463/630 1.50 हैक्टैयर मे से पृथक किया जाता है। तथा सिवायचक से हटाया जाकर पृथक से बटा नम्बर (3554 वर्गगज) के कायम किये जावे। तथा उक्त बटा नम्बर को वादी महेश टाकीज मुताबिक कार्यवाही की जावे। एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 मुकदमा नम्बर 109/01 अपीलांट के रकबे खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टेयर मे से अपीलांट के विरूद्व 3554 वर्गगज की हद तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप सिनेमा लीज राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।"

प्रस्तुत अपील अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 28.02.2005 के विरूद्व पेश की गई है एवं जो अनुतोष चाहा गया है उसका उल्लेख उपर्युक्तानुसार है।

प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष को अपीलांट के पक्ष में पूर्व में ही न्याया हाजा के अपीलांट संख्या 34/2013 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.13 में निर्णित किया जा चुका है। जो इस प्रकार है

".....एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 मुकदमा नम्बर 109/01 अपीलांट के रकबे खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टेयर मे से अपीलांट के विरूद्व 3554 वर्गगज की हद तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है....."

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

इस संबंध में **पूर्व–न्याय** धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू होते है, जो इस प्रकार है:–

"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and subsatntially in issue has been directly and substanitially in issue in a former suit between the same parties , or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

***Explanation 1-** The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whehter or not it was instituted prior thereto."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष **"अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि (3554 वर्गगज) की हद तक निरस्त/निष्प्रभावी फरमाया जावे,"** अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 109/2001 दिनांक 28.02.2005 को भी, न्यायालय हाजा की अपील संख्या 34/2013 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में ही विनिश्चित किया जा चुका है। निर्णय व डिक्री का आशिंक भाग इस प्रकार है:– **".....एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 मुकदमा नम्बर 109/2001 अपीलांट के रकबे खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टेयर मे से अपीलांट के विरूद्व 3554 वर्गगज की हद तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है.....।"** उपर्युक्त कारण से प्रस्तुत अपील में धारा 11 (पूर्व–न्याय) सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू होने के कारण; पूर्व में ही विनिश्चित अनुतोष को पुनः विनिश्चिय करना कानूनी रूप से बाधित है। इस कारण पत्रावली को इसी स्तर पर दफ्तर दाखिल की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(हरि राम मीना) 04.11.22
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner